उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-10/2025/यू0ओ0-78/एक-1-2025

11-4099/54/2024

लखनऊः दिनांकः 04 जुलाई, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(1) व उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम हरथला ऐहतमाली, तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि गाटा संख्या-1336 रकबा-9.984हे0 में से 0.200हे0 भूमि (2000 वर्गमीटर) जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1 राज्य सरकार के रूप में दर्ज है, का जनपद मुरादाबाद में राज्य कर विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यालय भवन में अधिग्रहीत वाहनों को खड़ा करने की समुचित व्यवस्था हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग जनपद मुरादाबाद में राज्य कर विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यालय भवन में अधिग्रहीत वाहनों को खड़ा करने की समुचित व्यवस्था हेतु ही किया जाएगा।

(2) निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर ली जाएगी।

(3) उपर्युक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन राज्य कर विभाग एवं जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

(4) जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

(5) राज्य कर अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/3/7/2025-सी0एक्स0(1) दिनांक-20.06.2025 के क्रम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in